भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 576/3/ईवीएम/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/न्यायिक/एसडीआर/खण्ड–II/2017 दिनांक: 06 नवम्बर, 2017

सेवा में
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
मध्य प्रदेश
भोपाल।

विषय: राज्य विधान सभा के उप-निर्वाचन, 2017-इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों एवं वीवीपीएटी का प्रयोग।

महोदय,

मुझे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क के अनुसरण में जारी किए गए आयोग के दिनांक 06 नवम्बर, 2017 के निदेश सं. 576/3/ईवीएम/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/न्यायिक/एसडीआर/खण्ड–II/2017 को इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है जिसमें **मध्य प्रदेश में 61-चित्रकूट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** को ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिसमें दिनांक **16.10.2017 को अधिसूचित** राज्य विधान सभा के वर्तमान उप-निर्वाचनों में मतों का डालना एवं रिकार्ड करना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से किया जाएगा। आयोग ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि पूर्वोक्त निर्वाचन-क्षेत्र में, मतों के पेपर ट्रेल के लिए उक्त निर्वाचन क्षेत्र में प्रयोग की जा रही सभी मतदान मशीनों के साथ ड्रॉप बॉक्स युक्त प्रिंटर लगाया जाएगा। यह निदेश राज्य के सरकारी राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और इस राजपत्र की दो प्रतियां आयोग की सूचना एवं रिकार्ड हेतु इसे अग्रेषित की जाएं।

2.इसके अतिरिक्त, मुझे मतदान मशीनों के डिजाइन, बैलेटिंग यूनिट पर मतपत्र के रूप में भाषा(ओं), निविदत मतपत्र की डिजाइन एवं भाषा और मतदान के पश्चात वोटिंग मशीनों को सीलबंद करने के तरीके के संबंध में निर्वाचनों का संचालन, 1961 के नियम 49क, 49ख, 49त, और 49न(2) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है। इस संबंध में, रिटर्निंग अधिकारियों की पुस्तिका, संस्करण 2014 के अध्याय-XI 'वोटिंग मशीनों के लिए डाक मतपत्र और मतपत्र' में निहित संगत अनुदेशों का कृपया अनुसरण किया जाए।

1. ऊपर उल्लिखित अनुदेश सूचना एवं अनुपालन के लिए संबंधित निर्वाचन-क्षेत्रों के रिटर्निंग

अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं।

2. आयोग के उपर्युक्त निर्णय का व्यापक प्रचार भी किया जाए।

3. जहां तक मतों की गणना का संबंध है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 50 से 54क, 60 से 66क और 55 ग से 57ग के प्रावधानों और मतों की गणना से संबंधित आयोग के विस्तृत निदेशों और अनुदेशों, जैसा कि रिटर्निंग अधिकारियों की पुस्तिका-2014 (जहां ईवीएम का प्रयोग होता है) के अध्याय XV में निहित है। रिटर्निंग अधिकारियों को कहा जाना चाहिए कि वे उक्त अनुदेशों और निदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें।

4. कृपया पावती दें।

भवदीय,

ह./-

(संजीव कुमार प्रसाद)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश के शासकीय
राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

दिनांक : **6** नवम्बर, **2017**

<u>निदेश</u>

सं. **576/3/**ईवीएम/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/न्या./एसडीआर//खण्ड–I **2017:-** यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम **1951** की धारा **61**क यह उपबंधित करती है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतों का डाला जाना और रिकॉर्ड करना ऐसी रीति से किया जाए जैसा कि निर्धारित किया जाए और ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें; और

2. यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम, **1961** के नियम **49**क के परन्तुक के अनुसार, ऐसे डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए, मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ जोड़ा जाए; और

3. यत:, आयोग ने **मध्य प्रदेश राज्य में 61-चित्रकूट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र,** जिनमें वर्तमान में उप-निर्वाचन चल रहा है, की परिस्थितियों पर विचार किया है, और संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, तथा मतदान कर्मचारी इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीनों तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर को दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं (जिसे ''वीवीपीएटी प्रिंटर'' कहा जाता है) तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा उक्त प्रिंटरों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित है।

4. अत:, अब भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951** की उक्त धारा **61**क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, **1961** के नियम **49**क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा **मध्य प्रदेश राज्य में 61-चित्रकूट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र,** को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें **16.10.2017** को उक्त निर्वाचन-क्षेत्रों से अधिसूचित किए गए संबंधित मध्य प्रदेश के राज्य विधान सभा के चालू उप-निर्वाचन में, निर्वाचनों का संचालन नियम, **1961** के अधीन निर्धारित रीति से तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों तथा उपरोक्त वीवीपीएटी प्रिंटर माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे।

5. आयोग एतद्द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर (वीवीपीएटी प्रिंटरों) जिसे उक्त मशीनों के साथ संलग्न किया जाएगा, के डिजाइन को भी अनुमोदित करता है जिनका उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतों को डालने और रिकार्ड करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

आदेश से,

(एन.टी.भूटिया)
सचिव